

परिशिष्ट-“एक”  
“परीक्षा योजना”

- (1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण ऑनलाइन परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।
- |                |   |         |
|----------------|---|---------|
| ऑनलाइन परीक्षा | - | 300 अंक |
| साक्षात्कार    | - | 30 अंक  |
| कुल            | - | 330 अंक |
- (2) ऑनलाइन परीक्षा:-
- (i) ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा:-
- |                                    |     |                      |         |
|------------------------------------|-----|----------------------|---------|
| प्रश्न पत्र                        |     |                      |         |
| प्रश्नों की संख्या                 | 150 | 3:00 घंटे            | अंक 300 |
| भाग 1 - छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान | -   | 50 प्रश्न (100 अंक)  |         |
| भाग 2 - संबंधित विषय               | -   | 100 प्रश्न (200 अंक) |         |
| कुल                                | -   | 150 प्रश्न (300 अंक) |         |
- (3) ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये पांच संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, द और इ में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुरितका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स, द या इ में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।
- (4) प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक प्राप्त होंगे। अभ्यर्थी केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दें जिनके संबंध में वे आश्वस्त हों कि वह उत्तर सही है, क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर पर एक अंक कम किया जाएगा। (कुल प्राप्त अंक (2R-W) होंगे जहां R = सही उत्तरों की संख्या एवं W = गलत उत्तरों की संख्या)
- \* किसी प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी।
- (5) ऑनलाइन परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे।
- (6) प्रश्न पत्र का भाग-01 हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम में होगा, भाग-02 केवल अंग्रेजी माध्यम में होगा।
- (7) साक्षात्कार:- साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।
- (8) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।
- (9) चयन सूची:- उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

□□□□